न्यायालय सिविल जज (जू0 डी0), मुरादाबाद।

UPMO060012832022

पीठासीन अधिकारी– (प्रगति रघुवंशी), **(उ0प्र0 न्यायिक सेवा) – UP**03231

उत्तराधिकार वाद सं0 -291/2022

सुनील बनाम श्रीमती अंजू देवी आदि

23.07.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3ग

प्रार्थना पत्र में संक्षेप में कहा गया है कि प्रार्थी/ आवेदक ने मृतक बाबू के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 दलपतपुर मुरादाबाद में ग्रेच्युटी के समस्त रूपयें 1,02,855/– रूपये के संबंध में वाद दायर किया है। आवेदक मृतक का पुत्र है। बाबू की मृत्यु दिनांक 09.12.2017 को हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा जमा धनराशियों पर मय देय ब्याज के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में कागज सं0 5ग छायाप्रति मृत्यु प्रमाणपत्र बाबू, कागज सं0 6ग छायाप्रति कार्यालय प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 29 पार्क रोड लखनऊ का पत्र कागज सं0 8ग छायाप्रति आधार कार्ड सुनील, कागज सं0 15ग छायाप्रति आधार कार्ड अंजू देवी, कागज सं0 17ग छायाप्रति आधार कार्ड नीरज देवी, कागज सं0 19ग छायाप्रति आधार कार्ड मोहिनी, कागज सं0 23ग छायाप्रति आधार कार्ड गीता, कागज सं0 15ग अखबार प्रकाशन, कागज सं0 19ग/1 ता 19ग/11 तहसील आख्या, कागज सं0 20ग/1 ता 20ग/2 कार्यालय प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 29 पार्क रोड लखनऊ की आख्या एवं अन्य प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल हैं, जिनका अवलोकन किया गया।

प्रतिपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा उसके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिपक्षीगण की ओर से अनापत्ति कागज सं0 13ग मय शपथपत्र 14ग प्रस्तुत की गयी। जिसमें प्रार्थीगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सहमति प्रस्तुत की गयी है।

इस प्रकरण में मुनादी करायी जा चुकी है तथा अखबार गजट भी कराया जा चुका है। मुनादी अखबार गजट के बाबजूद भी विपक्षीगण सं 1 ता 5 के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है विपक्षीगण सं0 1 ता 5 ने अनापत्ति प्रस्तुत की है।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही एक सांपेक्षिक(Summary) जिसमें यह देखा जाना होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त है या नहीं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से पक्षकार के अलावा और कोई उत्तराधिकारी होना प्रतीत नहीं होता। साथ ही कागज सं0 20ग/1 ता 20ग/2 कार्यालय प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 29 पार्क रोड लखनऊं के पत्रांक 1589 में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 दलपतपुर मुरादाबाद के

ग्रेच्युटी में 1,02,855/–मात्र हैं। ऐसी स्थिति में उक्त बैंक में जमा धनराशि का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों व दस्तावेजों के आलोक में प्रार्थी सुनील के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 3ग तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। मृतक बाबू के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 दलपतपुर मुरादाबाद के ग्रेच्युटी में 1,02,855/–मात्र हैं। यदि उस पर यदि कोई ब्याज हो, के बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रार्थी सुनील के पक्ष में प्रार्थी द्वारा वांछित न्यायशुल्क अदा किये जाने पर निर्गत हो।

प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह 1,02,855/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इस आशय की अंडरटेकिंग से दाखिल करे कि भविष्य में कोई व्यक्ति उक्त धनराशि के बाबत दावा प्रस्तुत करता है तो वह उक्त धनराशि तत् समय प्रचलित ब्याज की दर से जमा करेगें।

(प्रगति रघुवंशी)
सिविल जज (जू0डि0)
_मुरादाबाद।